प्रेषक,

फूलचन्द पटेल,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय सं.2 मऊ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा – प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, मऊ।

विषयः– वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2019–20 के उन्नयन के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि तत्कालीन मा0 जिला जज श्री मुकेश मिश्रा द्वारा वर्ष 2019–20 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्रदान की गयी है, जिसमें स्वनिर्धारण प्रपत्र के आधार पर सम्पूर्ण मूल्यांकन उत्तम के रूप में किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अवर न्यायालयों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने के संबंध में General Letter No. 16/IV-h-14/2018; Dated: Allahabad: May 31, 2018 संशोधित General Letter No. 11/IV-h-14/2019; Dated: Allahabad: March 05, 2019 को जारी किया है। जिसमें विभिन्न प्रकार के वादों के निस्तारण पर भिन्न–भिन्न यूनिट का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक अधिकारी को 1200 यूनिट कार्य देना होता है। इसके साथ–साथ पुराने वाद, निष्पादन वाद एवं लोक अदालत में विभिन्न वादों का सुलह–समझौते के आधार पर एवं पुराने वादों को निस्तारित करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त यूनिट दिये जाने का भी निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय ने सामान्य पत्र में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पीठासीन अधिकारी के कार्य की क्षमता 1200 यूनिट निर्धारित करते हुए यह भी कहा है कि अवकाश, प्रशिक्षण आदि से संबंधित दिवस को कार्य का मूल्यांकन करते समय कुल दिवस में से घटा दिये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल कार्य दिवस 366 के सापेक्ष 134 दिन अवकाश प्रशिक्षण आदि के घटाने के उपरान्त मुझे निर्धारित मानक के अनुसार 760.48 यूनिट का कार्य देना था, जिसके सापेक्ष मेरे द्वारा कुल 1493 यूनिट का कार्य किया गया है। मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 168 वादों का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर एवं 62 वादों का निस्तारण एकपक्षीय रूप से किया गया है। 48 वाद पॉच वर्ष पुराने एवं 3 वाद दस वर्ष पुराने वादों की सूची के आधार पर, लोक अदालत में विभिन्न श्रेणी के 67 वादों का एवं सुनवाई के दौरान 13 पारिवारिक विभिन्न मामलों का निस्तारण सुलह–समझौते के आधार पर किया गया है, जबकि तत्कालीन माननीय जिला जज ने वैकल्पिक विवाद/लोक अदालत में मात्र 11 केस निस्तारित किये जाने का उल्लेख किया है। न्यायिक कार्य के साथ–साथ मेरे द्वारा इस न्यायालय में लम्बित सात विभागीय अन्तिम जॉच पत्रावलियों का भी निस्तारण किया गया है।

यहॉ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि न्यायिक कार्य के साथ–साथ मुझे अवसंरचना उपसमिति का चैयरमेन भी बनाया गया था, जिसके तहत जनपद मऊ में कई भवनों को हस्तगत किया गया। कई भवनों के निर्माण के संबंध में आगणन मॅगाये गये। कई छोटे–छोटे प्रोजेक्ट का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बजट भी आवण्टित किया गया जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। मऊ जजशिप में अधिकारियों की संख्या को देखते हुए 8 कक्षीय न्यायालय भवन एवं 10 आवासों के निर्माण हेतु भी आगणन मंगाकर माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किया गया जो कोविड–19 महामारी के कारण शासन में लम्बित है। इसके अतिरिक्त

न्यायालय एवं आवासीय परिसर कें विस्तार के लिए 25 एकड़ भू–खण्ड प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया। जिस पर जिलाधिकारी ने औपचारिक रूप से सहमति व्यक्त करते हुए 25 एकड़ का प्रस्ताव बनाकर उत्तर–प्रदेश शासन को प्रेषित किये जाने का कथन किया। मेरे द्वारा पूर्ण क्षमता एवं रूचि के साथ न्यायिक कार्य का सम्पादन करते हुए प्रशासनिक कार्य भी किया गया है। फिर भी माननीय तत्कालीन जिला जज द्वारा स्वनिर्धारण प्रपत्र के आधार पर मूल्यांकन उत्तम के रूप में किया गया है। जो कि स्वनिर्धारण प्रपत्र एवं कार्य के अनुरूप नहीं है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि अभ्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उचित आदेश प्राप्त करने की महती कृपा की जावे।

दिनांक 11.11..2020

भवदीय,

(फूलचन्द पटेल) 11/11/20

अपर प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय सं.2 मऊ।